www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 18.01.2017

सीबीआई ने घूसखोरी के मामले में उत्तर रेलवे के कार्य प्रबन्धक को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने घूसधोरी के मामले में उत्तर रेलवे, जगधारी की कार्यशाला यमुना नगर (हरियाणा) के कार्य प्रबन्धक को आज गिरफ्तार किया।

एक शिकायत के आधार पर उत्तर रेलवे, जगधारी के कार्य प्रबन्धक के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज हुआ। शिकायतकर्ता रेलवे ठेकेदार को तथाकथित रेल वेंगनों की मरम्मत कार्य को करवाने हेतु उसे तीन अलग-अलग ठेका आवन्टित हुआ। दो ठेको के सम्बन्ध में कार्य पूरी तरीके से सम्पन हुए एवं तीसरे ठेके के सम्बन्ध में कार्य आंशिक रूप से हुए। करवाये गये कार्य के आधार पर, उन्होने उक्त के लिए बिलों को जमा किया। आरोपी ने कथित रूप से शिकायतकर्ता के बिलों को पास करने के लिए 2% की दर से घूस की मॉंग की जो कि कुल 17,340 रू. थी तथा उन्हें धमकाया कि घूस न देने पर, उनका बिल भुगतान के लिए पास नही होगा।

सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी को शिकायतकर्ता से उक्त घूस की मॉंग व स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा।

गिरफ्तार आरोपी को सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत, पंचकूला के समक्ष कल पेश किया जायेगा।

****